



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-270021
CG-DL-E-10022026-270021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947

No. 646]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

का.आ. 680(अ).— केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या संसद सदस्य के रूप में पद धारण करने तक, जो भी पूर्वतर हो, मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 4 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

- | | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| “4. | श्री सी.सदानंदन मास्टर,
संसद सदस्य,
राज्य सभा | सदस्य
राज्य सभा द्वारा निर्वाचित ” |
|-----|---|---------------------------------------|

[फा. सं. 5/4/2022-बागान-घ]

नितिन कुमार यादव, अपर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण संख्यांक का.आ.123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1300 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2026

S.O. 680(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as Member of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till he holds the office as the Member of Parliament, whichever is earlier and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce, number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| “4. | Shri C. Sadanandan Master,
Member of Parliament,
Rajya Sabha. | Member
Elected by Rajya Sabha.” |
|-----|---|------------------------------------|

[F. No. 5/4/2022-Plant-D]

NITIN KUMAR YADAV, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987 and was lastly amended by *vide* number S.O. 1300(E), dated the 14th January, 2025.